

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-राम रतन सौकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/15
(आरसीएमएस संख्या 2015/00096)

निर्णय दिनांक:- 21-01-2020

1. भादरराम पुत्र श्योकररणराम जाति जाट निवासी रामबाग तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 18-12-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-



अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28-04-2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 02 केएसएम के मुरब्बा नम्बर 24/54 के विशेष आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन भी अदालत मातहत द्वारा कर दिया गया। तदुपश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान करावें।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा अधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 20-12-13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 20-12-2013 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्थान अपील अधिकारी
वीकानेर

अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 2 केएसएम के मुरब्बा नम्बर 24/54 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वांछित सबूत यथा सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, पति या पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र आदि पेश करने व आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु नोटिस क्रमांक 4134 दिनांक 31-05-2003 जारी किया गया। उक्त नोटिस के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु व स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आने हेतु नोटिस क्रमांक 7341 दिनांक 28-08-2003 जारी किया गया। किन्तु अपीलांट ना तो आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। न्यायालय अंतहीन समय तक किसी आवेदक का इंतजार नहीं कर सकता ना ही अन्य काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने पर व वांछित सबूत पेश नहीं करने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 18-12-2003 यथावत बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21-01-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


राजेंद्र कुमार (सहायक आयुक्त)
राजस्थान सरकार
बीकानेर

